(3)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 03/2019-20

इस्लाम जादूपटिया.....अपीलकर्त्ता ।

बनाम

झारखण्ड सरकार.....उत्तरकारी ।

आदेश

यह अपील वाद समाहर्त्ता-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका के बी0पी0एल0ई0 वाद सं0-16/2016 में पारित आदेश दिनांक-06.10.16 के विरूद्ध दायर किया गया है ।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरकारी सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातो का अवलोकन किया ।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा-जबरदहा के दाग सं0-844 में मौजा के प्रधान द्वारा 02 बीघा 08 कट्ठा जमीन अपीलकर्त्ता के पिता को 18.12.1994 में पट्टा बन्दोबस्ती प्राप्त है। मौजा के 16/- रैयतों की सहमति एवं अंचल अधिकारी शिकारीपाड़ा के प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0-37/1995-96 में आदेश दिनांक-30.08.1996 द्वारा इस बन्दोबस्ती को सम्पुष्टि किया गया है। बंदोबस्ती प्राप्ति के पश्चात् से अपीलकर्त्ता इस जमीन पर दखल कब्जा करते आ रहे है। इस जमीन पर उनके द्वारा कुछ हिस्सा में मकान भी बना लिया है एवं लगान का भी भुगतान कर रहा है, किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा इस पर विचार किये बिना ही अपीलकर्त्ता को प्रश्नगत जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया जो न्याय संगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय ।

अपीलकर्त्ता द्वारा अपने दावों के समर्थन में :-

1. अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0-37/1995-96 में पारित आदेश दिनांक-30.08.96 की सच्ची प्रति की छायाप्रति ।
2. प्रधान द्वारा निर्गत बन्दोबस्ती पट्टा की छायाप्रति ।
3. प्रधान द्वारा निर्गत लगान रसीद की छायाप्रति पाँच प्रति में दाखिल किया गया है ।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा जबरदहा सर्किल जगतपुर थाना-05 के दाग सं0-844 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत अधिसूचित सुरक्षित वन भूमि बिहार राज्यपाल के आदेश से जारी किया गया है जिसकी अधिसूचना C/F 17075/55-4092R दिनांक-30.12.1955 है ।

प्रश्नगत भूमि वन एवं सार्वजनिक भूमि (Forest & Public Land) है। फलतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0-202/95 में पारित आदेश 12.12.1996 के आलोक में प्रश्नगत दाग सं0-844 के अतिक्रमण रकवा 02 डिसिमल जमीन से निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता को अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया है।

अपीलकर्त्ता का दावा है कि उन्हें प्रश्नगत जमीन की बन्दोबस्ती मौजा के प्रधान से पट्टा द्वारा मिली है। उक्त बन्दोबस्ती पट्टा की सम्पुष्टि भी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है। संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा-27 में मौजा के प्रधान को रैयतों के साथ परती भूमि (Waste Land) की बन्दोबस्ती पट्टा द्वारा करने की शक्ति प्रदत्त है न कि वनभूमि का। फलतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को वरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:06:10 +05:30
Location: 169.254.227.244